समाहरणालय, मधेपुरा

(शस्त्र शाखा)

आदेश

श्री राजेन्द्र प्रसाद भगत, पिता-श्री नन्दलाल भगत, ग्राम-जयरामपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा को एक दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1686/1684 (मुरलीगंज थाना) प्राप्त है, जिस पर दो नाली बन्दूक संख्या 30386/1134 धारित है। इनके पुत्र श्री सुधांशु कुमार भगत, पिता- राजेन्द्र प्रसाद भगत, ग्राम-जयरामपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पिता- राजेन्द्र प्रसाद भगत की मृत्यु दिनांक 25-08-2013 को हो चुकी है एवं उक्त शस्त्र को मुरलीगंज थाना के मालखाना में रखने हेतु अनुमति के लिए अनुरोध किया गया है।

अतः श्री सुधांशु कुमार भगत द्वारा समर्पित मृत्यु प्रमाण पत्र सहित आवेदन पत्र के आलोक में उनके पिता स्व0 राजेन्द्र प्रसाद भगत को प्राप्त दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1686/1684 (मुरलीगंज थाना) पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 30386/1134 को मुरलीगंज थाना के मालखाना शस्त्र अधिनियम की धारा 21 (1) के तहत् जमा करने की अनुमति दी जाती है। साथ ही शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी के मृत्यु हो जाने के कारण शस्त्र अधिनियम की धारा 17 (6) के तहत् श्री राजेन्द्र प्रसाद भगत, पिता-श्री नन्दलाल भगत, ग्राम-जयरामपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा के नाम से निर्गत दो नाली बन्दूक की अनुज्ञप्ति संख्या 1686/1684 (मुरलीगंज थाना) को रद्द किया जाता है। श्री सुधांशु कुमार भगत को आदेश दिया जाता है कि वे तत्क्षण शस्त्र से संबंधित मूल अनुज्ञप्ति पुस्त एवं पावती रसीद की छायाप्रति जिला शस्त्र शाखा में जमा करना सुनिश्चित करेंगे, ताकि उसे नियमानुसार रद्द कर अनुज्ञप्ति पंजी में इसकी प्रवृष्टि की जा सके।

थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्ति पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 30386/1134 अपने थाना के मालखाना में सुरक्षित जमा कर अनुपालन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें।

इस आदेश की सूचना संबंधितों को दी जाए।

ह0/-
जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा

ज्ञापांक 05 /श0, मधेपुरा, दिनांक 05-12-13

प्रतिलिपि : सभी जिला दण्डाधिकारी, बिहार राज्य को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : पुलिस अधीक्षक, मधेपुरा/अनुमण्डल दण्डाधिकारी, मधेपुरा/अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : थानाध्यक्ष, मुरलीगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। निदेश दिया जाता है कि उक्त आग्नेयास्त्रों के प्राप्ति पश्चात् उसकी सूचना जिला विधि शाखा, मधेपुरा को निश्चित रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।

प्रतिलिपि : श्री सुधांशु कुमार भगत, पिता- राजेन्द्र प्रसाद भगत, ग्राम-जयरामपुर, थाना-मुरलीगंज, जिला- मधेपुरा को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित। आपको निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त शस्त्र अनुज्ञप्तियों पर धारित दो नाली बन्दूक संख्या 30386/1134 को मुरलीगंज थाना के मालखाना में जमा करते हुए जमा प्रति इस कार्यालय को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

प्रतिलिपि : जिला सूचना अधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ प्रेषित। निदेश है कि इस आदेश को मधेपुरा जिला के वेबसाईट पर सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।

5/12/13

जिला दण्डाधिकारी,
मधेपुरा